FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB AMBALA **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/08/2018 16:50 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/08/2018 **Time (समय):** 15:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/08/2018 15:53 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता):

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** श्री सुभाष चन्द उप पुलिस अधीक्षक

   (b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1966

   (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

   Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सै 10, राज्य चौ ब्यूरो, अम्बाला, AMBALA SADAR, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सै 10, राज्य चौ ब्यूरो, अम्बाला, AMBALA SADAR, AMBALA, HARYANA, INDIA

(j)
Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कृष्ण कुमार यादव			
2	मोहन लाल लिपीक			
3	विक्रम कत्याल			
4	गौरव			
5	अमरजीत			
6	अनील कुमार			
7	मेवा सिंह			
8	विक्रम दत्त			
9	श्री रामनिवास			

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है कि जांच क्रमांक 7 दिनांक 29.09.2014, अम्बाला जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के कार्यालय के कमांक 52/20/2014-1, चौकसी (II) दिनांक 18.09.2014 व महानिदेशक, राज्य चौकसी विभाग, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के पृ. क्रमांक 13403/आई-5/रा.चौ.ब्युरो(ह) दिनांक 30.09.14 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर होकर इस मण्डल मे पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमे लगाए गये आरोप न. 1 से 7 आरोपों के सम्बन्ध मे पडताल की जानी थी जो यह आरोप न. 1 मे दर्शाया है कि, " नगर निगम अम्बाला मे नियुक्त रहे सचिव श्री के.के. यादव, श्री डी.के मंगला, एम.ई. व सहायक मोहन लाल तथा अन्य अधिकारीयों ने सभी नियमों व कानूनों को ताक पर रख कर दलालों/प्रोपर्टी डिलरों, भूमाफियों के साथ मिली भगत करके जिस भुमि की सरकार द्वारा अनुमति नही दी गई, के एन.ओ.सी.बनाने मे सरकार को करोंडों का चुना लगाया। नियमानुसार एक समय मे एन.ओ.सी. की एक ही कापी जारी की जाती है, परन्तु श्री यादव द्वारा श्री मोहन लाल सहायक को एन.ओ.सी. न. 9,10,11 दिनांक 02.05.2014., 15,16,17 दिनांक 07.05.2014. एन.ओ.सी. न. 18,19,20, दिनांक 07.05.2014., एन.ओ.सी. न. 12,22,23, दिनांक 09.05.2014 को तीन-तीन प्रतियां जारी करके सीधी डिलरों के हाथ मे दे दी जिन पर श्री के.के. यादव, सचिव ने हस्ताक्षर किये हुये हैं। जिनमे से कुछ प्रतियां अभी भी अधुरी हैं। श्री के.के.यादव, सचिव ने दिनांक 23.6.2014 को बदली पर रिलिव होने के बाद भी दिनांक 24.06.2014 को एन.ओ.सी. न. 78 व 79 जारी की गई है। नियमानुसार जायज आवेदनकर्ताओं की फाईलें जे.ई. व अन्य अधिकारीयों की रिपोर्ट मांग कर एक या दो मास तक रख कर लटकाए रखना जो बाद मे दलालों के माध्यम से मोटी-मोटी राशियां लेकर जारी करना, सरकार की स्वीकृती से बाहर के खसरा नम्बरों की बिना किसी रिपोर्ट या तस्दीक के एन.ओ.सी. जारी करना, तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा भी नाजायज नम्बरों की एन.ओ.सी. को नजर अन्दाज करके रजिस्ट्रीयां जारी करना "। जिस पर उक्त आरोप जांच से पाया गया कि " प्रतिवादी

कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव, नगर निगम, अम्बाला दिनांक 06.02.2014 से 23.06.2014 तक नियुक्त रहे हैं। महानिदेशक कम विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानिय निकाय विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 08.11.2013 अनुसार सभी नगर निगमो/नगर परीषदों/नगर पालिकाओं की चयनित अवैध कालोनियों को अपरुवड कालोनी घोषित करके प्रति स्केयर मीटर स्थान के हिसाब से 250 रुपये, 200 रुपये व 150 रुपये एन.डी.सी./एन.ओ.सी. हेतू रेट तय करने बारे नोटिफिकेशन जारी किया जाना पाया गया। जिसमे एन.ओ.सी./एन.डी.सी. के लिये 6 माह का समय निरधारित किया जाना पाया गया। जिसकी अनुपालना मे शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा सभी नगर निगमों/नगर परीषदों/नगर पालिकाओं को अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 27.12.2013 द्वारा आदेश जारी किये जाने पाये गये। सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना मे आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला द्वारा अपरुवड कालोनीयों की सूचि खसरा न. सहित नगर निगम/अम्बाला छावनी मे भेजी जानी पाई गई। जिसके आधार पर प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव, नगर निगम, अम्बाला छावनी द्वारा एन.डी.सी./एन.ओ.सी. जारी की जानी थी। परन्तु प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव द्वारा प्रतिवादी श्री मोहन लाल, लिपिक, नगर निगम, अम्बाला छावनी जो एन.डी.सी./एन.ओ.सी. हेतू उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करके कार्यवाही करने बारे नियुक्त किया जाना पाया गया, से मिली भगत करके श्री शमशेर सिंह, रिकार्ड कीपर, अम्बाला छावनी से पुर्व मे जारी की गई एन.ओ.सी./एन.डी.सी. कापी पुर्ण होने से पहले दुसरी कापी जारी कराई जानी पाई गई तथा यह एन.डी.सी./एन.ओ.सी. की कापियां प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव के कहने पर प्रतिवादी मोहन लाल, लिपिक द्वारा कार्यालय मे नियुक्त अनुबन्धित कर्मचारियों को उपभोगता से आवेदन प्राप्त करके एन.डी.सी./एन.ओ.सी. तैयार करने हेतू देने बारे अपने कथन मे बतलाया है। जिसकी पुष्टि अनुबन्धित तौर पर नियुक्त कर्मचारी विक्रम कत्याल , गौरव व अमरजीत ने अपने-अपने कथन मे की है। जबकि एन.डी.सी./एन.ओ.सी. कापी भरने व आवेदन को चैक करने की जिम्मवारी पुर्णत: प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक की बनती थी। क्योंकि प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक को इस कार्य हेतू नियुक्त किया गया था तथा प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक द्वारा तैयार की गई एन.डी.सी./एन.ओ.सी. व आवेदन मे दर्शाये गये खसरा नम्बर व कालोनी को मुताबीक जारी की गई अपरुवड कालोनी सुची के खसरा नम्बर व कालोनी को तस्दीक करके एन.डी.सी./एन.ओ.सी. की निरधारित फीस जमा करवाकर जारी की जानी चाहिये थी। लेकिन प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव, प्रतिवादी मोहन लाल, लिपिक, विक्रम कत्याल, अनुबन्धित कर्मचारी, गौरव, अनुबन्धित कर्मचारी व अमरजीत, अनुबन्धित कर्मचारी द्वारा जानबुझ कर उपभोग्ता से मिलीभगत करके लालच वश सरकार द्वारा जारी की गई अपरुवड कालोनी की सुची एंव खसरा न. की हिदायतों को अनदेखा करके धडलल्ले से एन.डी.सी./एन.ओ.सी. जारी किय गये। पडताल के दौरान एन.डी.सी./एन.ओ.सी. हेतू नगर निगम, अम्बाला छावनी मे प्राप्त आवेदनों का अध्यन करने पर एन.डी.सी./एन.ओ.सी. पर तिथि अंकित नही है तथा जारी की गई अधिकतर एन.डी.सी./एन.ओ.सी. पर खसरा न. मुताबीक अपरुवड कालोनी सुची अंकित न होकर अन्प्रुवड कालोनी के खसरा न. अंकित हैं जो कुल 26 एन.डी.सी./एन.ओ.सी. की बुक प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक, नगर निगम अम्बाला छावनी को जारी की जानी पाई गई। जिनमे से बुक न. 15 मे एन.डी.सी./एन.ओ.सी. न. 01से लेकर 49 तक लगातार फर्जी तौर पर तैयार करके कैन्सल की जानी पाई गई हैं। प्रतिवादी कृष्ण लाल यादव सचिव के समय मे जारी एन.डी.सी./एन.ओ.सी. फर्जी होने बारे पुष्टि श्री रामचन्द्र सेवा निवृत कानुनगो हाल अनुबन्धित कानूनगो, नगर निगम, अम्बाला द्वारा अपने कथन मे की है तथा श्री राम चन्द कानूनगो द्वारा प्रतिवादी कृष्ण कुमार तत्कालिन सचिव के समय मे जारी की गई एन.डी.सी./एन.ओ.सी. की प्रतियां का अध्यन करके सरकार द्वारा अपरुवड कालोनी हेतू जारी की गई सुचि से मिलान करने पर अधिकतर एन.डी.सी./एन.ओ.सी. फर्जी तौर पर गलत खसरा न. व गलत कालोनीयों की जारी की जानी पाई गई। श्री रामचन्द्र कानूनगो के द्वारा गलत/फर्जी तौर पर जारी की गई एन.डी.सी./एन.ओ.सी. एक अलग से सुचि तैयार करके पडताल के दौरान उपलब्ध करवाई गई हैं। जिसमे कुल 776 एन.डी.सी./एन.ओ.सी. गलत/फर्जी तौर पर अवैध कालोनियों व गलत खसरा न. की जारी की जानी पाई गई। इसके अतिरिक्त पडताल के दौरान प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव, तत्कालिन सचिव द्वारा बुक न.23 मे एन.डी.सी./एन.ओ.सी. न.78,79 व 80 दिनांक 24.06.2014 अपनी बदली होने उपरांत दिनांक 23.06.2014 को रिलिव होने पर जारी की जानी पाई गई। पडताल पर यह भी पाया गया कि, बुक न. 26 जिसमे एन.डी.सी./एन.ओ.सी. पर दिनांक 19.06.2014 दर्शाया गया है तथा कुछ एन.डी.सी./एन.ओ.सी. बिना तिथि के हैं। जबकि इस बुक को बाद मे इस्तेमाल किया जाना था। परन्तु यह बुक प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव सचिव व प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक द्वारा अनुबन्धित कर्मचारीयों से मिलीभगत करके अपनी मर्जी से बुक न. 23 से पहले इस्तेमाल की जानी पाई गई। प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव तत्कालिन सचिव, प्रतिवादी मोहन लाल लिपिक, विक्रम कत्याल अनुबन्धित कर्मचारी, गौरव अनुबन्धित कर्मचारी व अमरजीत अनुबन्धित कर्मचारी से जांच के दौरान पुछताछ पर अपने-2 कथन मे गलत एन.डी.सी./एन.ओ.सी. के बारे कोई स्पष्ट जवाब ना देकर आपस मे एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिम्मेवार ठहराया है। जिससे सिद्ध होता है कि, उपरोक्त द्वारा उपभोक्ता से एन.डी.सी./एन.ओ.सी. के नाम पर मोटी रकम लेकर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर वह अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थ हेतू गलत कालोनी व खसरा नम्बर की एन.डी.सी./एन.ओ.सी. जारी की। नगर निगम छावनी से जारी एन.डी.सी./एन.ओ.सी. के आधार पर वर्ष 2014 मे नियुक्त रहे श्री अनिल कुमार तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी हाल नायब तहसीलदार, समालखा जिला पानीपत, श्री मेवा सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी हाल सेवानिवृत, श्री विक्रम दत्त, तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क, तहसील अम्बाला छावनी व श्री रामनिवास, तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क, तहसील अम्बाला छावनी द्वारा सरकार के आदेशों की परवाह ना करते हुये एन.डी.सी मे दर्ज खसरा नम्बर का मिलान ना करके अवैध कालोनी से सम्बन्धित खसरा नम्बरों की एन.डी.सी. के आधार पर धडल्ले से रजिस्ट्रियां पंजीकृत की गई। जिसकी पुष्टि स्वंय श्री अनिल कुमार, तत्कालीन नायब

तहसीलदार अम्बाला छावनी समालखा जिला पानीपत, श्री मेवा सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी हाल सेवा निवृत, श्री विकृम दत्त रजिस्ट्री कलर्क तहसील अम्बाला ने अपने-2 कथनों मे की है। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार अम्बाला छावनी ने भी अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 08.06.2017 द्वारा एन.डी.सी के आधार पर उपरोक्त तत्कालीन नायब तहसीलदार व उपरोक्त तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क अम्बाला छावनी की नियुक्ती के दौरान काफी मात्रा मे रजिस्ट्रीयां पंजिकृत होने बारे सुचित किया है। जांच से पाया गया है कि, सरकार के नियमों के पालना ना करके गलत खसरा नम्बरों की एन.डी.सी. जारी करना व गलत खसरा नम्बरों की एन.डी.सी. के आधार पर रजिस्ट्रीयां पंजीकृत किये जाने बारे प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव नगर निगम अम्बाला छावनी, प्रतीवादी मोहन लाल, लिपिक, नगर निगम अम्बाला छावनी, विक्रम कत्याल, अनुबन्धित कर्मचारी, नगर निगम, अम्बाला छावनी, गौरव, अनुबन्धित कर्मचारी, नगर निगम अम्बाला छावनी, अमरजीत, अनुबन्धित कर्मचारी नगर निगम, निगम अम्बाला छावनी, श्री अनील कुमार, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी हाल नायब तहसीलदार समालखा जिला पानीपत, श्री मेवा सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी, हाल सेवानिवृत्त, श्री विक्रम दत्त, रजिस्ट्री कलर्क तहसील अम्बाला छावनी व श्री रामनिवास, तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क, तहसील अम्बाला छावनी के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120बी, भा.द.सं. व 13(1) डी एक्ट, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया था। इसके उपरांत महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 6634/रा.चौ.ब्यूरो (ह) दिनांक 16.05.2018 अनुसार सरकार को भिजवाई। तदोउपरांत यह जांच अतिरिक्त मुख्यसचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ के पृष्ठांन क्रमांक 52/20/2014-2, चौ (II) दिनांक 12.07.2018 की अनुपालना महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला पृष्ठाकंन क्रमांक 10256/आई-3/रा.चौ.ब्यूरो(ह) दिनांक 19.07.2018 के अनुसार आरोप न. 1 मे उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के लिये प्राप्त हुई थी तथा आरोप न. 2,3,4 व 7 मे विभागीय कार्यवाही के लिये प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी व स्थानीय निकाय विभाग को विभागीय कार्यवाही के लिये लिखा गया था। अत: प्रतिवादी कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव नगर निगम अम्बाला छावनी, प्रतीवादी मोहन लाल, लिपिक, नगर निगम अम्बाला छावनी, विक्रम कत्याल, अनुबन्धित कर्मचारी, नगर निगम, अम्बाला छावनी, गौरव, अनुबन्धित कर्मचारी, नगर निगम, अम्बाला छावनी, अमरजीत, अनुबन्धित कर्मचारी नगर निगम, निगम अम्बाला छावनी, श्री अनील कुमार, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी हाल नायब तहसीलदार समालखा जिला पानीपत, श्री मेवा सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी, हाल सेवानिवृत्त, श्री विक्रम दत्त, रजिस्ट्री कलर्क तहसील अम्बाला छावनी व श्री रामनिवास, तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क, तहसील अम्बाला छावनी के विरुद्ध धारा 420/467/468/471/120बी. भा.द.सं. व 13(1)डी एक्ट, 1988 के तहत अभियोग तहत रजिस्टर करके मिसल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल 12 फाईलें जांच क्रमांक 07 दिनांक 29.09.2014, अम्बाला मय अन्तिम रिपोर्ट फाईल) बराये तफतीश निजद निरीक्षक राजपाल भेजी जा रही है। नकुलात प्रथम सुचना रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जा रही हैं। sd. Subhash Chand (सुभाष चन्द) ह.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो(ह) अम्बाला मण्डल अम्बाला दिनांक 25.07.2018. Vetted sd Ajit Singh, 26.07.18। अज थाना- हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न.5 दिनांक 01.08.18 समय 3.53 PM, पर अभियोगांक 6 दिनांक 01.08.18 धारा 420/467/468/471/120बी. भा.द.सं. व 13(1)डी, पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बादस्त EHC सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला भिजवाई जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल रिकार्ड आईन्दा तफतीश हेतू बदस्त सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के द्वारा निजद निरीक्षक राजपाल उप केन्द्र कुरुक्षेत्र भेजी जा रही है। ईन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Raj Pal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 77HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Dinesh Chand

Rank (पद): SI (Sub Inspector)

No. (सं.): 2/19

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

राज्य चौकसी ब्यूरो
अम्बाला